इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016—कार्तिक 20, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-303.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचना क्रमांक 576-Exit-2016-SDR-Vol. I, दिनांक 3 नवम्बर 2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 3 नवम्बर, 2016—12 कार्तिक, 1938 (शक्)

अधिसूचना

संख्या 576-एक्जिट-2016-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यत: असम, अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/58/2016 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और, यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धाराओं की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, दिनांक 16 मई, 2016 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपरान्ह 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2016, के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/58/2016 के द्वारा घोषित असम में **14-लखिमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 20-बैठालंगसो (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरूणाचल प्रदेश में 45-हयूलिआंग (अ.ज.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 12-शहडोल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 1-कूच बिहार (अ. जा.), 30-तामलुक संसदीय**

निर्वाचन क्षेत्रों एवं 263-मान्टेश्वर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 195-थिरूपारानकुन्दरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 4-बरजला एवं 25-खोवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी में 17-नेल्लीथोप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)

प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 3rd November, 2016—12 Kartika, Saka 1938

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2016-SDR-Vol.I.—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People and to Legislative Assemblies of **Assam, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Tripura & Puducherry were** announced by the Commission *vide* Press Note No. ECI/PN/58/2016, dated 17th October, 2016;

2. And, whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. to 5.30 P.M. on 19-11-2016 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced *vide* the Commission's Press Note No. ECI/PN/58/2016, dated 17th October, 2016 from **14-Lakhimpur, Parliamentary, Constituency & 20-Baithalangso (ST) Assembly Constituency in Assam, 45-Hayuliang (ST) Assembly Constituency in Arunachal Pradesh, 12-Shahdol (ST) Parliamentary Constituency & 179-Nepanagar (ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 1-Coochbehar (SC) & 30-Tamluk Parliamentary Constituencies in West Bengal, 263-Monteswar Assembly Constituency in West Bengal, 195-Thiruparankundram Assembly Constituency in Tamil Nadu, 4-Barjala & 25-Khowai Assembly Constituencies in Tripura and 17-Nellithope Assembly constituency in Puducherry,** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,

Sd./-

(K. F. WILFRED)

Principal Secretary.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.